पत्रांक / /आयु0कर0उत्तरा0 / वाणि0क0 / विधि–अनु0 / प0सं0–11 / 13–14 / देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)
दिनांक : देहरादून ० (जुलाई, 2013

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क०नि०), वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर,
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड।

परिपत्र
(कर निर्धारण वादों के निस्तारण हेतु कोटा)

वर्ष 2009–10 के कर निर्धारण वादों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या 280 / 2013 / 108(120) / XXVII(8) / 02 / दिनांक 07.03.2013 जारी किया गया, जिसके अनुसार उक्त वर्ष के कर निर्धारण वादों का कर निर्धारण / पुनः कर निर्धारण दिनांक 31–03–2014 तक किया जाना है। वर्ष 2010–11 के कर निर्धारण वादों का कालवाधन भी दिनांक 31–03–2014 ही है जिनका निस्तारण भी वर्ष 2009–10 के वादों के साथ–साथ वर्ष 2013–14 में ही किये जाने है। उक्त दोनों वर्षों के वादों के निष्पादन की गति और गुणवत्ता बढ़ाने के लिये निम्न व्यवस्था की जाती है :–

1–बिक्री कर मैनुअल खण्ड–3 (भाग–एक) के अध्याय–9 के पृष्ठ–82 के प्रस्तर–232, प्रस्तर–233 व प्रस्तर–234 या अन्यत्र कहीं उल्लेख हो, में कर निर्धारण वादों के निस्तारण हेतु निर्धारित कोटा तुरन्त समाप्त किया जाता है।

2–वर्ष 2013–14 में वर्ष 2009–10 व वर्ष 2010–11 के सभी वादों का निस्तारण किया जाना है।

3–उक्त दोनों वर्षों में दिनांक 01–07–2013 को अवशेष वादों में से वर्ष 2013–14 हेतु प्रत्येक तिमाही में एक तिहाई वादों का निस्तारण का कोटा नियत किया जाता है। उदाहरणतः यदि असिस्टेन्ट कमिश्नर (क०नि०) खण्ड–2 हरिद्वार के पास दिनांक 01–07–2013 को वर्ष 2009–10 में 300 व वर्ष 2010–11 में 450 वाद शेष हैं तो कुल वाद 750 हुये। अतः 250 वाद प्रत्येक तिमाही हेतु कोटा नियत किया जाता है।

4–यदि किसी कर निर्धारण अधिकारी का स्थानान्तरण वर्ष 2013–14 के मध्य कहीं अन्यत्र हो जाता है, तो उन्हें उक्त कार्यालय के कार्यभार मुक्ति की तिथि तक अनुपातिक रूप से वादों का निस्तारण करना होगा।

5–यदि किसी अधिकारी को यह लगे कि उनके पास वर्ष 2013–14 में निस्तारण हेतु कर निर्धारण वादों की पेन्डेन्सी अधिक है और वह दिनांक 31–03–2014 तक उन वादों का निस्तारण नहीं कर पायेंगे तो वे अधिकारी जितने वाद नहीं कर सकते हैं, कारणों का उल्लेख करते हुये अंग्रेजी वर्णमाला

के अनुसार सूची बनाकर दिनांक 31–07–2013 तक अपने सम्भाग के ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उपलब्ध करा दें, जिससे सम्भाग के किसी अन्य अधिकारी को वादों का हस्तान्तरण किया जा सके, परन्तु ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) सम्बन्धित अधिकारी की पेन्डेन्सी को देखते हुये वादों के हस्तान्तरण हेतु निर्णय लेंगे। यदि ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को किसी अन्य सम्भाग या जोन में वादों को हस्तान्तरण कराना हो तो सम्बन्धित प्राधिकारी के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।

6–उक्त पेन्डेन्सी/निस्तारित वादों की समीक्षा मासिक आधार पर सम्भागीय/जोनल स्तर पर की जायेगी व त्रैमासिक समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जायेगी। ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक) व एडिशनल कमिश्नर जोन द्वारा कि गयी समीक्षा रिपोर्ट मुख्यालय को भी प्रेषित की जायेगी।

7–धारा–30 के प्रार्थना पत्र, धारा–31 के प्रार्थना पत्र व अन्य प्रार्थना पत्र पूर्व में नियत समय सीमा के अन्तर्गत प्राथमिकता से किया जाना है। वि०अनु०शा० व सचल दल से प्राप्त प्रतिवेदनों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना है। अन्य वादों का निस्तारण धारा–32 के अन्तर्गत दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत किया जाना है।

8–यदि कोई कर निर्धारण अधिकारी लम्बी उपार्जित/चिकित्सा अवकाश आदि पर रहता है, तो सम्भाग में ज्वाइन्ट कमिश्नर अपने विवेक से उनके वादों को किसी अन्य अधिकारी को हस्तान्तरित कर/करवा सकते हैं।

उक्त व्यवस्था/निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय। यह व्यवस्था दिनांक 01–07–2013 से प्रभावी होगी।

(सौजन्या)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 / 1666 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमांऊ जोन रूद्रपुर।

2– ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।